भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग **लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या-278

उत्तर दिनांक - 27/11/2024 को दिया गया

खनिज लाइसेंस देना

278. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बिना खिनज लाइसेंस देने के लिए वर्तमान विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को बनाए रखने का औचित्य क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इस मामले पर राज्य सरकारों, खनन उद्योग के हितधारकों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे परामर्शों के क्या परिणाम रहे हैं एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) संसद ने खान और खिनजों के विकास और नियमन के लिए खान और खिनज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] अधिनियमित किया है। खिनज रियायतें, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं। दिनांक 12.01.2015 को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया, जिसके तहत खिनज रियायत देने के लिए नीलामी व्यवस्था शुरू की गई। उक्त संशोधन का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता लाना और खनन क्षेत्र से राज्य सरकारों के राजस्व हिस्से को बढ़ाना था। खिनज लाइसेंस (खनन पट्टा) प्रदान करना राज्य का प्राधिकार है। राज्य सरकार खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करने के लिए खनन उद्योगों/कंपनियों को खिनज खनन लाइसेंस प्रदान करती है। परमाणु खिनज रियायत नियमों (एएमसीआर-2016) के लागू होने के बाद, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) परमाणु खिनजों के लिए सरकारी कंपनियों को खनन पट्टा जारी करने की सिफारिश करता है। अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के समय प्रस्ताव पर हितधारकों अर्थात केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, खनन उद्योग, उद्योग संघों, आम जनता और संबंधित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की टिप्पणियां/स्झाव मांगे जाते हैं।
